पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13–11–2022

दिनांक 12/13–11–2022 को रात्रि थाना सुशांत गोल्फ सिटी 01, थाना गोमतीनगर 01, थाना जानकीपुरम 01, थाना ठाकुरगंज 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना आशियाना–दिनांक 13–11–2022 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि श्री दिनेश लोधी पुत्र स्व0 भैरव प्रसाद निवासी फ्लैट नंबर 201 स्काईवे अपार्टमेंट सुभाष नगर थाना कृष्णा नगर लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि उसका ऑफिस अखिल भारतीय लोधी महासभा का ऑफिस/मकान नं0 1/222 सेक्टर एल थाना आशियाना लखनऊ में है। आज दिनांक 13–11–2022 को जब उसने अपना ऑफिस खोला तो उनके यहां काम करने वाले शिव कुमार मिश्रा उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र स्व0 रमाशंकर मिश्रा निवासी थाना बदोसराय रामनगर जनपद बाराबंकी जो कि आज रात ऑफिस में रुका था ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। **इस सूचना पर एसआई श्री विपिन कुमार मो0नं0–7839860946 द्वारा आवश्यक वैधानिक की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक श्री दिनेश लोधी का पुराना मिलने वाला था और उनके दूसरे मकान में अपनी पत्नी के साथ किराये पर रहता था और काम होने पर ऑफिस में रुकता था, मृतक द्वारा ऑफिस में ही एक कमरे में छत के पंखे से गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक के दो बच्चे हैं।

थाना दुबग्गा–दिनांक 13–11–2022 को थाना दुबग्गा द्वारा बताया गया कि वादी श्री गंगा प्रसाद पुत्र खुरूमदास निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना माल लखनऊ ने थाना दुबग्गा पर सूचना दिया कि दिनांक 09–11–2022 को वादी का पुत्र सत्येंद्र कुमार लखनऊ से अपनी ड्यूटी समाप्त कर वापस घर आ रहा था कि कसमंडी रोड पर अंधे की चौकी के आगे न्यू बालाजी हॉस्पिटल के सामने से आ रहे एक पिकअप डाला नं0 यूपी 32 पीएन 3121 के चालक द्वारा पिकअप को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल नंबर यूपी 32 एलडब्लू 7742 में टक्कर मार दी जिससे वादी के पुत्र गंभीर चोटें आई घटना समय करीब 6.30 बजे शाम की है। वादी के पुत्र को 108 एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान दिनांक 10–11–2022 को वादी के पुत्र की मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 228/2022 धारा 279/337/338/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।**